(218)

संख्याः 412/xxvii(7)61(8)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 15 फरवरी, 2013

विषयः–अधिसूचना संख्या 21/xxvii(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/xxvii(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नवनियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत् थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायः–

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनकें कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तराखण्ड सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्पारिक समझौता है के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार /संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगें। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते है, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होगें।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण(पी0एफ0आर0डी0ए0) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जोयगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अक्टूबर, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है तो उसे दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के पूर्व उत्तराखण्ड सरकार में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन लें।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– ५१२ (1)/ xxvii(7)61(8)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
3. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।